

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 109/18

सलीम पुत्र गुलाब सिंह आयु 30 वर्ष मुसलमान
(बंजारा) निवासी सिकंदरपुर थाना कोतवाली
तहसील व जिला मैनपुरी उ०प्र०

-----आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

-----अनावेदक

26-03-2018

आवेदक/अभियुक्त सलीम की ओर से श्री जी०एस० निगम अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 61/18 अंतर्गत धारा 11 पशु अतिचार अधिनियम 1871 व धारा 6 म.प्र. गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त सलीम की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम द्वारा जे०एम०एफ०सी० न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन धारा 437 दं०प्र०सं० का निरस्त हो जाने के पश्चात् प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री जी०एस० निगम द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक गरीब परिवार का होकर ट्रक चालक है वह व्यवसायियों के कहने से उक्त ट्रक को गोहद क्षेत्र के अंतर्गत लाया था। आवेदक को कोई जानकारी नहीं थी। आवेदक दिनांक 20.03.18 से न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मामला जेएमएफसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण

केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 21.03.18 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर ग्राम खितोली तरफ से ट्रक क्रमांक यू.पी. 84 टी 1824 नीली तिरपाल लगाये हुये चारों तरफ से बंद कूरता पूर्वक बंधी हालत में बछड़े भरकर गोहद तरफ आ रहा है। सूचना पर से कठमा गुर्जर तिराहा पर वाहन चैकिंग की तो कुछ समय पश्चात एक ट्रक खितोली कठमा गुर्जर की तरफ से आता दिखा हमराही फोर्स की मदद से उसे रोका ड्रायवर से से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सलीम पुत्र गुलात बंजारे बताया, तब ट्रक पर चढ़ी तिरपाल को हटाकर देखा तो गौ वंश बछड़े कूरतापूर्वक बंधे हुये पड़े थे कुछ उनके उपर खड़े हुये थे जो भूखे व दयनीय हालत में थे। ट्रक के उपर चढ़कर गिनकर देखा तो 22 नंग छोटे-बड़े बछड़े थे। ड्रायवर से बछड़ों के संबंध में जानकारी ली तो कोई मालिकाना हक न बताते हुये जानवरों को वध के व्यापार के लिये ले जाना बताया गया।

उक्त अपराध पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 61/18, धारा 11 पशु अतिचार अधिनियम 1871 व धारा 6 म.प्र. गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा या दस हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होकर जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 22.03.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा आवेदक/अभियुक्त ड्रायवर पेशा गरीब परिवार का एकमात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है एवं केस डायरी के साथ आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से निम्न शर्तों सहित 25,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

1. प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा।

2. अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/प्रलोभित नहीं करेगा।

3. अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)